



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/59/2025

ऑनलाईन नम्बर:- 2025/298

प्रवेश तिथि:-18.08.2025

1. माया देवी पत्नी श्री बद्री प्रसाद योगी उम्र 64 साल निवासी जोगी मौहल्ला निवासी
ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।प्रार्थीया

बनाम्

1. तहसीलदार राजगढ जिला अलवरअप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री जितेन्द्र सैनी एड0-प्रार्थी
तहसीलदार राजगढ -अप्रार्थी

:-निर्णय:-

दिनांक:-31/10/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 390/0.63 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम छोटी देवी पत्नी बद्री प्रसाद दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया ने दिनांक 20.06.2024 को राजस्थान सरकार के राज पत्र गजट नोटिफिकेशन व अखबार साया के माध्यम से के नाम अन्य रिकार्ड में माया देवी पत्नी बद्री प्रसाद दर्ज रिकार्ड करा लिया है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम माया देवी पत्नी बद्री प्रसाद किये दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1844 दिनांक 26.09.2025 की मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 390/0.63 वाके ग्राम ढिगावडा में छोटी देवी पत्नी बद्री प्रसाद सा0 देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि छोटी देवी पत्नी बद्री प्रसाद व माया देवी पत्नी बद्री प्रसाद एक ही व्यक्ति है। जिसका सही जिनका सही नाम माया देवी पत्नी बद्री प्रसाद होना बताया गया।



उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीया की आराजी खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 390/0.63 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम छोटी देवी पत्नी बद्दी प्रसाद की राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन से माया देवी पत्नी बद्दी प्रसाद दर्ज करवा लिया गया है। जिसे दुरुस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2025 व दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 390/0.63 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम छोटी देवी पत्नी बद्दी प्रसाद दर्ज है उसके स्थान पर माया देवी उर्फ छोटी देवी पत्नी बद्दी प्रसाद दुरुस्त किया जावे तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीनर आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला-अलवर



राजगढ़, जिला - अलवर (रा.अ.)
सत्यमेव जयते